

ध्यान दें:-

राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि योजना से संबंधित जमाओं हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। यदि आप निम्न में से किसी एक प्रकार की जमा करवाना चाहते हैं तो ध्यान दें-

1. राज्य बीमा प्रीमियम कटौती
2. राज्य बीमा ऐरियर प्रीमियम कटौति
3. राज्य बीमा ऋण का पुनर्भुगतान
4. राज्य बीमा ऋण पर अदा किये जाने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान
5. सामान्य प्रावधायी निधि की कटौति
6. सामान्य प्रावधायी निधि की ऐरियर कटौति
7. सामान्य प्रावधायी निधि के अस्थायी आहरण का पुनर्भुगतान

उक्त समस्त जमाओं हेतु अब जमाकर्ता को ई-ग्रास के माध्यम से राशि जमा करवाने से पूर्व राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के ऑनलाईन पोर्टल www.sipfportal.rajasthan.gov.in पर यथोचित रूप से लॉगिन कर आवश्यक विवरण अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। वर्तमान में यह सुविधा आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर उपलब्ध है। वे विभाग जो राजस्थान सरकार के कोष से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुये नहीं हैं तथा जिनकी सेल्फ ट्रेजरी है अथवा कैश मद से जुड़े हैं उन्हें उक्त प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक रूप से वांछित विवरण दर्ज करना होगा।

दर्ज किये गये विवरण के अनुरूप ही चयन किये गये ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रकार के अनुसार ही ई-ग्रास पर भुगतान का लिंक उपलब्ध होगा। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के पोर्टल पर भुगतान के लिंक द्वारा ई-ग्रास पर पूर्व की भांति भुगतान प्रक्रिया संपादित होगी। स्पष्ट है कि ई-ग्रास पर उक्त प्रक्रियाओं हेतु बिना विभाग के पोर्टल पर विवरण दर्ज किये सीधे संबंधित राशि जमा नहीं की जा सकेगी।

जमाकर्ताओं से आग्रह है कि किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर विभागीय हेल्पडेस्क एवं टोलफ्री नं -18001806268 पर संपर्क करें। उक्त प्रक्रिया की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in के DDO's Corner पर देखी जा सकती है।